# Citizen Charter

## मनोरंजन कर विभाग

### (1) विभाग के कार्य

- मनोरंजन कर विभाग का मुख्य कार्य आमोद एवं पणकर की वसूली एवं यह सुनिश्चित करना है कि इस दिशा में कोई करापवंचन न हो।
- मनोरंजन के साधनों हेतु जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से लाइसेंस प्रदान करना एवं अनुमति प्रदान करना।

### (2) अधिनियम एवं नियमवलियॉ–

- उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम 1955।
- उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951।
- उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979
- उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर नियमावली 1981
- उत्तर प्रदेश आमोद धूम्रपान निषेध (छविगृह) अधिनियम 1952
- उत्तर प्रदेश सिनेमा (रेगुलशन आफ इक्जीविशन बाई मीन्स आफ वीडियो) रूल्स 1988।
- उत्तर प्रदेश एडवर्टिजमेण्ट टैक्स एक्ट 1981।
- उत्तर प्रदेश एडवर्टिजमेण्ट टैक्स रूल्स 1983।

(3)संगठनात्मक ढॉचा–

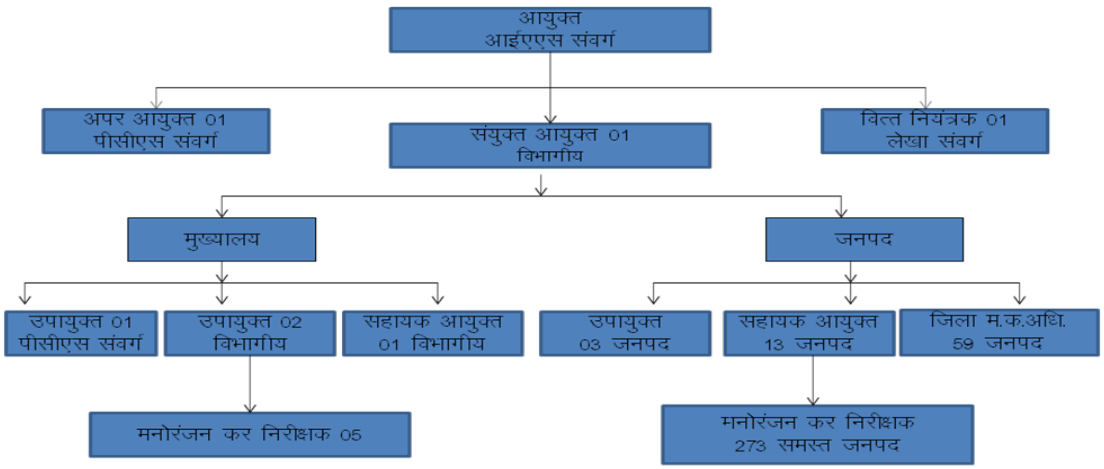

## (4) विभाग के कार्य

- मनोरंजन कर विभाग का मुख्य कार्य आमोद एवं पणकर की वसूली एवं यह सुनिश्चित करना है कि इस दिशा में कोई करापवंचन न हो।
- मनोरंजन के साधनों में जनसुविधा एवं सुरक्षा सुनिष्चित करने हेतु लाइसेंस/अनुमति प्रदान करना।

## (5) विभाग की प्राथमिकतायें–

- विभाग द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की शत प्रतिषत प्राप्ति किया जाना।
- विभाग की योजनाओं के माध्यम से मनोरंजन के विभिन्न साधनों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाना।
- विभाग में स्वच्छ एवं पारदर्षी कार्य संस्कृति विकसित करते हुये स्वच्छता एवं साफ–सफाई रखना।

## (6) मनोरंजन कर की दर–

- सिनेमा/मल्टीप्लेक्स पर मनोरंजन कर की दर रू0 10 तक – सकल टिकट मूल्य का 30 प्रतिशत
- रू0 10 से अधिक तथा रू0 30 तक – सकल टिकट मूल्य का 35 प्रतिशत
- रू0 30 से अधिक– सकल टिकट मूल्य का 40 प्रतिशत।
- अन्य आमोदों में सकल टिकट मूल्य का 25 प्रतिशत।

## (7) आय के प्रमुख स्रोत–

- मनोरंजन कर से प्राप्त कुल आय में लगभग 50 प्रतिशत डी.टी.एच सेवा से,
- 31 प्रतिशत मल्टीप्लेक्स एवं एकल सिनेमा से,
- 14 प्रतिशत केबिल सेवा से,
- शेष 5 प्रतिशत अन्य स्रोतों से एकत्रित होता है।
- वर्तमान में प्रदेश में 296 एकल सिनेमा, 66 मल्टीप्लेक्स के 244 स्क्रीन, 6 डी.टी.एच. सेवा प्रदाता के 37.76 लाख संयोजन एवं 4962 केबिल टी.वी. आपरेटरों के 28.18 लाख संयोजन हैं।

## (8) मनोरंजन कर से राजस्व प्राप्तियां–

मनोरंजन कर विगत 08 वर्षों के राजस्व लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्तियों का विवरण हैः–

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | वार्षिक लक्ष्य (करोड़ रू0 में) | प्राप्त आय (करोड़ रू0 में ) | वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2009–10 | 183.17 | 193.51 | 106 |
| 02 | 2010–11 | 225.18 | 245.13 | 109 |
| 03 | 2011–12 | 285.55 | 312.45 | 109 |
| 04 | 2012–13 | 360.00 | 385.11 | 107 |
| 05 | 2013–14 | 440.00 | 469.82 | 107 |
| 06 | 2014–15 | 560.00 | 498.40 | 89 |
| 07 | 2015–16 | 600.00 | 622.42 | 104 |
| 08 | 2016–17 | 658.00 | 725.48 | 110 |

## (9) जनहित गारन्टी अधिनियम–2011

उ0प्र0 शासन लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 375/ 91–2013,लखनऊ दिनांक 7,नवम्बर,2013 द्वारा जारी अनुसूची के अन्तर्गत

## (अ) सभी विभागों हेतुः–

| विभाग | सेवा संख्या | प्रकरण | निस्तारण की समय सीमा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | आवदेन की तिथि से | प्रथम अपील | द्वितीय अपील |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सभी विभाग | 10 | 1.पेंशन स्वीकृति पर निर्णय | 60 दिवस | 30दिवस | 30दिवस |
| –तदैव– | –तदैव– | 2.जी0पी0एफ0स्वीकृति पर निर्णय | 30 दिवस | 15दिवस | 15दिवस |
| –तदैव– | –तदैव– | 3.चिकित्सा अवकाश स्वीकृति पर निर्णय | 15 दिवस | 15दिवस | 15दिवस |
| –तदैव– | –तदैव– | 4.चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय(तकनीकी अनिवार्यता परीक्षण के बाद) | 60 दिवस | 30दिवस | 30दिवस |
| –तदैव– | –तदैव– | 5.प्रोविजनल पेंशन स्वीकृति पर निर्णय | 30 दिवस | 30दिवस | 30दिवस |
| –तदैव– | –तदैव– | 6.उपार्जित अवकाश स्वीकृति पर निर्णय | 15 दिवस | 07दिवस | 07दिवस |
| –तदैव– | –तदैव– | 7.वेतन भुगतान पर निर्णय | 15 दिवस | 07दिवस | 07दिवस |
| –तदैव– | –तदैव– | 8.गोपनीय प्रविष्ठि पर निर्णय | 30 दिवस | 30दिवस | 30दिवस |
| –तदैव– | –तदैव– | 9.सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन पर निर्णय | 90 दिवस | 30दिवस | 30दिवस |
| –तदैव– | –तदैव– | 10.मृतक आश्रित नियुक्ति (सामान्य मामलों में) पर निर्णय | 90 दिवस | 30दिवस | 30दिवस |

## (ब) मनोरंजन कर विभाग हेतुः–

| क्रम | विभाग | सेवायें | पदाभिहित अधिकारी | सेवाओं के निये निर्धारित समय सीमा | प्रथम अपीलीय अधिकारी | प्रथम अपी. अधि. के निस्तारण की समय सीमा | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के निस्तारण की समय सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | मनोरंजन कर विभाग | उ0प्र0 चलचित्र नियमावली,1951 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रस्तावित सिनेमा स्थल के अनुमोदन/ सिनेमा भवन के निमार्ण की अनुमति। | जिला मजिस्ट्रेट | विहित निरीक्षण शुल्क तथा नियमानुसार समस्त अभिलेखों सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से 90 कार्य दिवस के भीतर | मण्डलायुक्त | 30 कार्य दिवस | मनोरंजन कर आयुक्त | 30 कार्य दिवस |
| 02 | मनोरंजन कर विभाग | उ0प्र0 चलचित्र नियमावली,1951 के नियम–9 के अन्तर्गत लाइसेन्स प्रदान करना एवं नवीनीकृत करना। | जिला मजिस्ट्रेट | नियम–4 के अंतर्गत अपेक्षित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से 45 कार्य दिवस के भीतर | मण्डलायुक्त | 30 कार्य दिवस | मनोरंजन कर आयुक्त | 30 कार्य दिवस |
| 03 | मनोरंजन कर विभाग | उ0प्र0 चलचित्र निमावली,1951 के नियम 27(1)/27(2) के अन्तर्गत अस्थायी सिनेमा को लाइसेन्स प्रदान किया/दिया जाना। | जिला मजिस्ट्रेट | नियमानुसार अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से 15 कार्य दिवस के भीतर | मण्डलायुक्त | 30 कार्य दिवस | मनोरंजन कर आयुक्त | 30 कार्य दिवस |
| 04 | मनोरंजन कर विभाग | उ0प्र0 चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रर्दशन) नियमावली,1988 के नियम–12 के अन्तर्गत स्थाई वीडियों सिनेमा को लाइसेन्स प्रदान करना/ नवीनीकृतकरना। | जिला मजिस्ट्रेट | नियमानुसार अपेक्षित आवेदन पत्र तथा तत्सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण करने की तिथि से 30 कार्य दिवस के भीतर | मण्डलायुक्त | 30 कार्य दिवस | मनोरंजन कर आयुक्त | 30 कार्य दिवस |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | मनोरंजन कर विभाग | उ0प्र0 चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रर्दशन) नियमावली,1988 के नियम–15 के अन्तर्गत अस्थायी वीडियो सिनेमा को लाइसेन्स प्रदान करना/ नवीनीकृत करना। | जिला मजिस्ट्रेट | नियमानुसार अपेक्षित आवेदन पत्र तथा तत्सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण करने की तिथि से 15 कार्य दिवस के भीतर | मण्डलायुक्त | 30 कार्य दिवस | मनोरंजन कर आयुक्त | 30 कार्य दिवस |
| 06 | मनोरंजन कर विभाग | उ0प्र0 आमोद और पणकर नियमावली, 1981 के नियम–28,29,30 व 31 के अन्तर्गत अतिरिक्त जमा कर की वापसी/ समायोजन | सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/ जिला मनोरंजन कर अधिकारी | नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 15 कार्य दिवस के भीतर | जिला मजिस्ट्रेट | 30 कार्य दिवस | मण्डलायुक्त | 30 कार्य दिवस |
| 07 | मनोरंजन कर विभाग | उ0प्र0 आमोद और पणकर नियमावली, 1981 के नियम–34 के अन्तर्गत जमा प्रतिभूति वापसी | सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/ जिला मनोरंजन कर अधिकारी | नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 30 कार्य दिवस के भीतर | जिला मजिस्ट्रेट | 30 कार्य दिवस | मण्डलायुक्त | 30 कार्य दिवस |

## (10) विभाग की मुख्य योजनाऐं, कार्यक्रम एवं छविगृह स्वामियों एवं जनता को उपलब्ध करायी गयी सुविधायें

### 1. छविगृह परिसर का अनुरक्षण –

- सिनेमा परिसर के रख–रखाव हेतु शासन की अधिसूचना संख्या–दिनांक 28 नवम्बर,2013 के द्वारा सिनेमा परिसर के अनुरक्षण और वातानुकूलन/वायुषीतन सुविधाओं हेतु प्रति टिकट मूल्य में से आमोद कर को छोड़कर क्रमशः रू. 6.00 और रू. 3.00 का उपयोग करने हेतु अधिकृत।
- शासन की अधिसूचना दिनांक 27.03.2017 द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 28 नवम्बर, 2013 में आंशिक संशोधन–किसी सिनेमा का मालिक सिनेमा परिसर के अनुरक्षण हेतु प्रति टिकट के मूल्य में से आमोद कर को छोड़कर 8.00 रूपये का उपयोग कतिपय शर्तों के अधीन अधिकृत।

### 2. छविगृहों का उच्चीकरण–

- छविगृहों में उपलब्ध सुविधाओं तथा तकनीकों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण को प्रोत्साहन हेतु शासनादेश दिनांक 03.11.1999 के द्वारा छविगृहों में आधुनिक घ्वनि

प्रणाली, एअर कडीशनिंग, जेनरेटर सेट, फाल्स सिलिंग लगाने एवं समस्त फर्नीचर बदलने तथा वृह्द नवीनीकरण हेतु छविगृह–स्वामी को उपरोक्त सुविधाओं पर किए गए निवेश के 50 प्रतिशत की अधिकतम् सीमा तक कतिपय शर्तों के अधीन अनुदान दिये जाने की व्यवस्था।

- शासनादेश दिनांक 12.09.2014 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 03.11.1999 में छविगृह में डिजिटल प्रोजक्शन सिस्टम एवं सौर उर्जा से संचालित संयत्र स्थापित करने पर इस योजना के अंतर्गत निवेश की गयी धनराशि पर 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था कतिपय शर्तों के साथ अनुमन्य।

3. प्रदेश में मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015–

- प्रदेष में नये मल्टीप्लेक्सों के निर्माण को प्रोत्साहन देने की योजना वर्ष 1999 से संचालित। वर्तमान में दिनांक 03.09.2015 के द्वारा पूर्व से संचालित मल्टीप्लेक्स निर्माण प्रोत्साहन योजना को दिनांक 31.03.2020 तक विस्तारित किया गया है।
- नगर निगमों, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के मल्टीप्लेक्स को संग्रहीत मनोरंजन कर का प्रथम वर्ष में 100 प्रतिषत ,द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 75 प्रतिषत तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिषत अनुदान ।
- अन्य स्थानीय क्षेत्रों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 100 प्रतिषत, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 75 प्रतिषत का अनुदान ।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत में मल्टीप्लेक्स निर्माण प्रोत्साहन योजना के 66 मल्टीप्लेक्स संचालित, जिनमें 244 स्क्रीन ।
- जनपद आगरा, गोरखपुर, गाजियाबाद, बरेली एवं लखनऊ में कुल 14 मल्टीप्लेक्स के 58 स्क्रीन निर्माणाधीन।

4. नये एकल निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना–

- प्रदेश में नये एकल छविगृह के निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु दिनांक 30.12.2016 से प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गयी है। यह योजना दिनांक 31.03.2020 तक प्रभावी ।

- नगर निगमों, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के सिनेमा को संग्रहीत मनोरंजन कर का प्रथम वर्ष में 100 प्रतिषत ,द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 75 प्रतिषत तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिषत अनुदान।

- अन्य स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले सिनेमा को संग्रहीत मनोरंजन कर का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 100 प्रतिषत, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 75 प्रतिषत का अनुदान।

5. पुराने बन्द पड़े एवं घाटे में चल रहे छविगृहों हेतु योजनाः–

प्रदेश में वर्तमान में लगभग 552 एकल सिनेमा बन्द हैं तथा वर्तमान में 296 एकल सिनेमा संचालित हैं। बन्द सिनेमाओं को पुनः संचालित कराये जाने हेतु 02 योजनायें–

- शासनादेश दिनांक 16.12.2016 द्वारा दिनांक 31.03.2015 से पूर्व बन्द सिनेमाहाल यदि 31.03.2017 तक बिना किसी निवेश के पुनः संचालित होते हैं तो उन्हें संग्रहीत मनोरंजन कर का 30 प्रतिषत अनुदान तीन वर्ष तक देने की व्यवस्था थी।
- शासनादेष दिनांक 30.12.2016 के अन्तर्गत कोई सिनेमा स्वामी अपने बन्द अथवा घाटे में चल रहे सिनेमा को रिमॉडल करके कम से कम 125 सीट के व्यावसायिक गतिविधियों से युक्त सिनेमागृह का निर्माण करता है तो उसे 03 वर्ष तक सिनेमाहाल में संग्रहीत मनोरंजन कर का 50 प्रतिषत अनुदान कतिपय शर्तों के अधीन दिये जाने का प्राविधान।

6. फिल्मों की मनोरंजन कर से मुक्ति–

- फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान करने की नीति के अंतर्गत द चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी द्वारा निर्मित अथवा अधिगृहीत फिल्म, भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फीचर फिल्म एवं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म, भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित डाक्यूमेन्ट्री फिल्म,परिवार कल्याण पर आधारित फिल्म जिसका 75 प्रतिषत भाग परिवार नियोजन पर ही हो,राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/राजकीय उपक्रम अथवा एन.एफ.डी.सी. एवं अधिकृत सहकारिता संस्थान द्वारा निर्मित उद्देष्य पूर्ण फिल्में जो उपरोक्त श्रेणी में सम्मिलित न हो आदि को मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने का प्राविधान।
- शासनादेश दिनांक 17.01.2014 द्वारा प्रदेश में छायांकन के आधार पर कर मुक्त करने की व्यवस्था पुनः लागू ।
- फिल्मों को कर मुक्ति करने की नीति में किसी फिल्म को अधिकतम 200 प्रिंट प्रति सप्ताह कर मुक्ति प्रदान की गई है, जिसका उपयोग 03 माह की समय–सीमा के अधीन किया जाना अनिवार्य।

7. विलुप्त होते मनोरंजन के साधनों की कर मुक्ति –

उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन दिनांक 16.08.1981 से निम्न आमोद के वर्ग मनोरंजन कर की देयता से मुक्त किये गये हैं–

1. नाटक,
2. नौटंकी,
3. कव्वाली,
4. कवि सम्मेलन,
5. मुशायरा,
6. शास्त्रीय एवं लोक संगीत, जो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 6 के अधीन आच्छादित है, को छोड़कर,
7. वैरायटी प्रोग्राम, जिनमें अनन्य रूप से उपर्युक्त मद 1 से 7 तक के दो या उससे अधिक कार्यक्रम सम्मिलित हैं,

8. सभी स्तरों पर आयोजित खेल और क्रीड़ा, जिसमें ओलम्पिक, एशियाड या राष्ट्रीय खेलों में कोई नियमित या प्रदर्शन खेल सम्मिलित है या जो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा विनियमित हों ,
9. स्केटिंग, दंगल और कुश्ती प्रतियोगिता जिसमें फ्री स्टाइल कुश्ती भी सम्मिलित है,
10. सरकस, जिसमें कलाबाजी के करतब भी सम्मिलित हैं और
11. रू0 5.00 तक के वीडियो गेम,
12. जादू प्रदर्शन।

8. जन सामान्य को जागरूक करने हेतु स्लाइड के माध्यम से प्रचार–प्रसार की व्यवस्था–

विभाग द्वारा जन सामान्य को जागरूक करने के लिये अग्नि सम्बंधी दुर्घटनाओं, रेलवे क्रासिंग की दुर्घटनाओं, यातायात नियंत्रण, पर्यावरण, एड्स नियंत्रण, बर्ड फ्लू इत्यादि स्लाइडों का प्रदर्शन प्रदेश के सिनेमाओं/मल्टीप्लेक्स के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाता है।

9. जन शिकायत एवं उसका समाधान–

- विभाग की सेवाओं तथा कार्य–कलाप के संबंध में शिकायत संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में की जा सकती है।
- समस्या समाधान न होने पर विभागाध्यक्ष, मनोरंजन कर आयुक्त अथवा शासन स्तर में अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ से शिकायत।
- शिकायतों की जॉच समुचित प्राधिकारी से कराकर सम्बंधित जनपद स्तर पर ही निस्तारण कराये जाने की व्यवस्था।
- किसी प्रकरण पर जनपद स्तर से अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो पाती है तो आयुक्त, मनोरंजन कर कार्यालय से जॉच एवं अपेक्षित कार्यवाही विधि सम्मत ढंग से किये जाने की व्यवस्था।
- विभिन्न शिकायतों के निराकरण के लिये आयुक्त मनोरंजन कर के अधीन उप मनोरंजन कर आयुक्त,मुख्यालय नोडल अधिकारी नामित।
- पीड़ित पक्ष अपनी शिकायत लिखित में मनोरंजन कर आयुक्त अथवा सम्बंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर सकता है।
- दिनांक 31.03.2017 के अंत में आईजीएस प्रणाली के तहत शिकायत निस्तारण में मनोरंजन कर विभाग की श्रेणी प्रथम।
- विभाग को सीधे ई–मेल के माध्यम से भी अपनी शिकायत प्रेषित की जा सकती है। शिकायतों के निस्तारण हेतु मनोरंजन कर विभाग का दूरभाष नम्बर एवं ई–मेल –
- विभागीय वैब साइट–etax.up.nic.in
- विभागीय ई–मेल–etcomup@nic.in
- दूरभाष नम्बरः 0522–2286657 , हेल्पलाईन–0522: 2721944, 3312600

10. विभाग का पत्राचार पता–

कार्यालय मनोरंजन कर आयुक्त,
8वी. मंजिल, जवाहर भवन,
अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001

11. सूचना का अधिकार–

- सूचना के अधिकार के अंतर्गत मनोरंजन कर विभाग में जिला मनोरंजन कर अधिकारी, मुख्यालय जन सूचना अधिकारी एवं उप मनोरंजन कर आयुक्त, मुख्यालय अपीलीय अधिकारी।
- जनपदों में सम्बंधित जनपद के उप मनोरंजन कर आयुक्त, सहायक मनोरंजन कर आयुक्त, जिला मनोरंजन कर अधिकारी, मनोरंजन कर निरीक्षक(जनपद प्रभारी) (यथा स्थिति) जन सूचना अधिकारी नामित।
- सूचना अधिकार के अंतर्गत मांगी गयी सूचनाओं का समयबद्ध निस्तारण।

.....